Fourteenth Loksabha

Session : 6
Date : 13-12-2005

Participants : Bishnoi Shri Jaswant Singh

>

Title : Regarding violation of Wild Life Act.

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : सभापति महोदय, आजादी के पहले और बाद में दो तरह के कानून बने थे - एक एनिमल क्रूअल्टी एक्ट और दूसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट। आज भी कई जगह इन कानूनों का खुले-आम उल्लंघन हो रहा है। मैं सरकार की जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था कि नेपाल में पांच जानवरों की बलि कमखाया माता के मंदिर में चढ़ाई गई। दो दिन पहले मैं देख रहा था कि... * की रक्षा के लिए दो भैंसों की बलि चढ़ायी गई। ये मूक जानवर हैं लेकिन इनमें भी जान है। उनकी जब हत्या होती है तो उन्हें कितनी पीड़ा होती है? आप इसे महसूस कर सकते हैं।

MR. CHAIRMAN : The name of the person need not be recorded.

---

* Not Recorded.

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : किसी को वाइल्ड लाइफ की हत्या करने का अधिकार इस धरती पर नहीं है लेकिन फिर भी इस तरह की खुले आम हत्याएं धर्म के नाम पर हो रही हैं। सरकार ऐसी बलियों पर प्रतिबंध लगाए। मंदिरों में भैंस, कबूतर, बकरे की बलि चढ़ायी जाती है। इस तरह की बलि देकर मूक जानवरों को लोग मार रहे हैं। वे ऐसा करके प्रकृति के साथ अन्याय कर रहे हैं। राजस्थान में वाइल्ड लाइफ इसलिए सुरक्षित है कि राजस्थान में बिश्नोई कौम के लोग पशुओं को बचाने के लिए हंसते-हंसते अपने प्राणों की बलि देते हैं। ...(व्यवधान) वे अपने प्राणों को न्योछावर करके वन्य प्राणियों को बचाते हैं। 13 तारीख को श्री गंगाराम बिश्नोई ने हंसते-हंसते जानवर की

रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दी। जानवरों को भी इस धरती पर रहने का अधिकार है। उन्हें मारने का किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कानून भी सख्त बनाया जाए।